खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 43

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	845.54	...	845.54	1232.94	...	1232.94	1247.42	...	1247.42	1308.66	...	1308.66
वसूलियां	-15.54	...	-15.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	830.00	...	830.00	1232.94	...	1232.94	1247.42	...	1247.42	1308.66	...	1308.66
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.94	...	26.94	32.16	...	32.16	32.98	...	32.98	36.10	...	36.10
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	0.16	...	0.16	0.35	...	0.35	0.16	...	0.16
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**26.94**	**...**	**26.94**	**32.32**	**...**	**32.32**	**33.33**	**...**	**33.33**	**36.26**	**...**	**36.26**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना	818.60	...	818.60	1081.41	...	1081.41	750.00	...	750.00	700.00	...	700.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी)	...	...	...	77.89	...	77.89	27.97	...	27.97	31.90	...	31.90
5. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)	...	...	...	41.32	...	41.32	36.12	...	36.12	40.50	...	40.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	**...**	**...**	**...**	**119.21**	**...**	**119.21**	**64.09**	**...**	**64.09**	**72.40**	**...**	**72.40**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**...**	**...**	**...**	**119.21**	**...**	**119.21**	**64.09**	**...**	**64.09**	**72.40**	**...**	**72.40**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
6. वास्तविक वसूलियां	-15.54	...	-15.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पी.एम. एफएमई)	...	...	...	...	...	...	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**-15.54**	**...**	**-15.54**	**...**	**...**	**...**	**400.00**	**...**	**400.00**	**500.00**	**...**	**500.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***830.00***	***...***	***830.00***	***1232.94***	***...***	***1232.94***	***1247.42***	***...***	***1247.42***	***1308.66***	***...***	***1308.66***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	803.08	...	803.08	1092.64	...	1092.64	932.44	...	932.44	957.56	...	957.56
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.92	...	26.92	32.16	...	32.16	32.98	...	32.98	36.10	...	36.10
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**830.00**	**...**	**830.00**	**1124.80**	**...**	**1124.80**	**965.42**	**...**	**965.42**	**993.66**	**...**	**993.66**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	108.14	...	108.14	115.00	...	115.00	120.00	...	120.00
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	166.19	...	166.19	192.50	...	192.50
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	0.81	...	0.81	2.50	...	2.50
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**108.14**	**...**	**108.14**	**282.00**	**...**	**282.00**	**315.00**	**...**	**315.00**
कुल जोड़	**830.00**	**...**	**830.00**	**1232.94**	**...**	**1232.94**	**1247.42**	**...**	**1247.42**	**1308.66**	**...**	**1308.66**

1. **सचिवालय:** प्रावधान, मंत्रालय के सचिवालय व्यय के अंतर्गत किया गया है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वाइन और अंगूर की बेल (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।

3. **प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना:** इसे निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रावधान किया गया है: (क) मेगा फूड पार्क स्कीम; (ख)कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना स्कीम; (ग) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम; (घ) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम; (ङ) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम; (च) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम; (छ) मानव संसाधन एवं संस्थान स्कीम (ज) अवसंरचना से संबंधित स्कीमों के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियां; (झ) ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम; तथा (ञ) स्वच्छता कार्य योजना।

4. **भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी):** यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

5. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम):** प्रावधान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

7. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पी.एम. एफएमई):** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में आरंभ किए गए स्कीम के लिए है, जिसे पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और पांच साल की अवधि में क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए है।